

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।**

(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)  
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-119(26196)/2024/ 232 दिनांक:- 16/5/24

**आदेश:-**

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 20 (1) एफ.डी. (गुप-2) 92 दिनांक 25.01.1992 एवं एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-आ दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से चयनित वेतनमान/एसीपी एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बेंड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/ देय पे वेतन श्रृंखला
1.	सुमन वर्मा नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	18.08.2009	12.02.2021 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
2.	सरोज भास्कर नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	15.02.2005	05.02.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
3	सुमन चौधरी नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	09.08.2005	09.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-12	लेवल-13
4	बाबुलाल खिचड नर्सिंग ऑफिसर	बाडमेर	30.09.2011	30.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
5	मुनेश म0स्वा0कार्य0	जालौर	09.09.2011	09.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
6	परमा देवी म0स्वा0कार्य0	सिरोही	09.08.2005	09.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
7	रामनारायण डारा, नर्सिंग ऑफिसर	बाडमेर	17.06.2011	17.06.2023 9 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
8	सुआ देवी नर्सिंग ऑफिसर	जोधपुर	04.08.2005म.स्वा. कार्य.26.12.2019 नर्सिंग ऑफिसर	04.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर।**

(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)  
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

9	पिंकी मीणा म0स्वा0कार्य0	बाडमेर	16.08.2005	16.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
10	विमला म0स्वा0कार्य0,	बाडमेर	18.10.2005	18.10.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
11	सुरज्ञान पंवार म0स्वा0कार्य0	बाडमेर	12.08.2005	12.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
12	रीना बानो म0स्वा0कार्य0,	पाली	26.09.2011	26.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
13	कोशल्या म0स्वा0कार्य0,	पाली	23.02.2005	23.02.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
14	बसन्ती म0स्वा0कार्य0	पाली	28.03.2005	28.03.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-11	लेवल-12
15	कान्ता देवी म0स्वा0कार्य0	सिरोही	20.09.2011	20.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
17	मौसमी म0स्वा0कार्य0	सिरोही	15.09.2011	15.09.2020 9 वर्ष एसीपी	लेवल-8	लेवल-10
18	सुषमा देवी म0स्वा0कार्य0	बाडमेर	06.08.2005	06.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11
19	शारदा देवी म0स्वा0कार्य0	बाडमेर	02.05.2005	05.08.2023 18 वर्ष एसीपी	लेवल-10	लेवल-11

**नोट-** तालिका के क्र0सं0 1 पर अंकित कार्मिका के दिनांक 15.03.2012 से दिनांक 08.09.2013 तक की अवधि को (Dies Non) शुन्यकाल माने जाने एवं अनुपस्थित अवधि से संबंधित वार्षिक वेतन वृद्धि असंगी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप 9 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 18.08.2018 के स्थान पर दिनांक 12.02.2021 से देय होगा एवं क्र0सं0 7 पर अंकित कार्मिक के दो से अधिक संतान होने के कारण 18 वर्षीय एसीपी का लाभ दिनांक 17.06.2020 के स्थान पर दिनांक 17.06.2023 से देय होगा। उक्त कार्मिको के वेतन नियंतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किये जावेंगे।

उक्त कार्मिको मे से किसी कार्मिक के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान है तो उक्त आदेश उन पर प्रभावी नहीं होंगे।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राज0 जयपुर।

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान, जयपुर।  
(Swasthya Bhawan C-Scheme Jaipur)  
(Phone Number-0141-2222683 E-mail-add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/जोन जोधपुर/एसीपी/X-119(26196)/2024/ 232 दिनांक:- 16/5/24  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन जोधपुर राजस्थान।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश /रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर